

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2020—माघ 11, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्रमांक एफ 1-10/2001/पैंतालीस, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा मध्यप्रदेश विमानन विभाग (राजपत्रित- तकनीकी) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में,

- (1) उप नियम (2) में, शब्द 'संचालक' के स्थान पर शब्द 'आयुक्त' स्थापित किया जाए,
- (2) उप नियम (3) के स्थान पर, निम्न लिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(3) सरकार, उप नियम (2) के अधीन आयुक्त की अनुशंसा पर निम्नलिखित पदोन्नति समिति का गठन करेगी :-

01. प्रमुख सचिव, विमानन विभाग	अध्यक्ष
02. आयुक्त, विमानन संचालनालय	सदस्य
03. संचालक, विमानन संचालनालय	सदस्य
04. सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी	सदस्य
05. उप सचिव/अवर सचिव, विमानन विभाग	सदस्य सचिव
06. उस सेवा के आमंत्रिती विषय विशेषज्ञ	सदस्य

(आरक्षित संवर्ग का अधिकारी न होने पर उक्त संवर्ग का समकक्ष नामांकित अधिकारी)

उक्त पदोन्नति समिति, पदोन्नति प्रस्ताव पर विचार करेगी और प्रमुख सचिव, विमानन विभाग को अपनी अनुशंसा से अवगत कराएगी। सरकार, समिति की अनुशंसा अनुसार पदोन्नति देने हेतु अंतिम निर्णय लेगी।"

F-1-10/2001/XLV, In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Aviation Department (Gazetted-Technical) Service Recruitment and Service Condition Rules, 2003, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in rule 14, :-

- (1) In sub-rule (2) for the word 'Director', the word 'Commissioner' shall be substituted,\;
- (2) For sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely:-

"(3) On the recommendation of the Commissioner under sub-rule (2), the Government shall constitute a following promotion committee :-

01.	Principal Secretary, Aviation Department	Chairman
02.	Commissioner, Directorate of Aviation	Member
03.	Director, Directorate of Aviation	Member
04.	An officer not below the rank of Deputy Secretary of General Administration Department	Member
05.	Deputy Secretary/Under Secretary, Aviation Department	Member Secretary
06.	An invitee subject expert of the service	Member

(In the absence of a reserve category, the nominated officer equivalent to that cadre)

The Promotion Committee shall consider the promotion proposal and shall apprise the Principal Secretary, Aviation Department with its recommendations. The Government shall take a final decision for giving promotion in accordance with the recommendation of Committee. "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकान्त कश्यप, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2020

एफ. 2--13/2019/सात-7

नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 233, 233-क, 234, 235, 236, 238, 242, 243 एवं 244 तथा धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (सत्तावन), (सत्तावन-क), (अठ्ठावन), (उनसठ), (तिरसठ) एवं (चौसठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 258 की उप धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने कि संभावना है, जानकारी के लिए एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन का अवसान होने पर नियमों के निम्नलिखित प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नियमों के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम :-

इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब-उल-अर्ज) नियम, 2020 है।

भाग- एक सामान्य

2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आदिम जनजाति" से अभिप्रेत है धारा 165 की उप-धारा (6) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के संबंध में आदिम जनजाति के रूप में घोषित की गई कोई जनजाति;

(ख) "अध्याय" से अभिप्रेत है संहिता का अध्याय;

- (क) "आदिम जनजाति" से अभिप्रेत है धारा 165 की उप-धारा (6) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के संबंध में आदिम जनजाति के रूप में घोषित की गई कोई जनजाति;
- (ख) "अध्याय" से अभिप्रेत है संहिता का अध्याय;
- (ग) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959);
- (घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से अनुलग्न प्ररूप;
- (ङ) "ग्राम सभा" का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 2 के खण्ड(आठ) में दिया गया है;
- (च) "ग्राम विकास समिति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 7 क के अधीन गठित समिति;
- (छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों में से किसी जाति का है;
- (ज) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा।
- (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे, जो संहिता में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

भाग-दो दखलरहित भूमि

3. प्रयोजन, जिनके लिए निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए दखलरहित भूमि को पृथक् रखा जा सकेगा - धारा 237 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (ज) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त, कलक्टर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दखलरहित भूमि पृथक् रख सकेगा, अर्थात् :-

- (ट) (एक) मुरम, कंकड़, रेत, मिट्टी, पत्थर या कोई अन्य गौण खनिज निकालना;
- (ट) (दो) सिंचाई तथा अन्य जल अधिकार;

- (ट) (तीन) फलदार वृक्ष;
- (ट) (चार) मनोरंजन के लिए (जैसे उद्यान, हरित क्षेत्र या वनाच्छादित क्षेत्र, क्षेत्रीय उद्यान (प्राणी शास्त्रीय या वनस्पति शास्त्रीय) प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण, स्टेडियम, झील के सामने का विकास और प्रदर्शनी मैदान);
- (ट) (पांच) सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए (जैसे सार्वजनिक संस्थाएं और प्रशासनिक क्षेत्र/शिक्षण और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां);
- (ट) (छह) परिवहन प्रयोजनों के लिए (जैसे बस स्टैंड या टर्मिनस, बस-पिक-अप स्टेशन, सड़कें, रेलवे स्टेशन, रेलवेलाइनें, बस डिपो, ट्रांसपोर्ट नगर, हेलीपेड/हवाई अड्डा तथा मेट्रो रेल स्टेशन);
- (ट) (सात) सार्वजनिक उपयोगिता और सुविधा प्रयोजनों के लिए (जैसे जल शोधन संयंत्र, मल शोधन संयंत्र, ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रंक लाइन कॉरीडोर, जल/मल/अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइन/गैस या तेल पाइप लाइन और संबंधित संरचनाएं, रेडियो/टी.वी स्टेशन, दूरसंचार केन्द्र, अग्नि नियंत्रण स्टेशन और ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र; और
- (ट) (आठ) कोई निस्तारी (सामुदायिक) अधिकार जो कि अनुसूचित जनजाति और पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (कमांक 2 सन् 2007) के अधीन दिए गए हैं।

4. ग्राम में की दखलरहित भूमि का अभिलेख -

- (1) प्रत्येक ग्राम में की समस्त दखलरहित भूमि का अभिलेख धारा 233 के अधीन दो भागों में तैयार किया जाएगा, अर्थात्:-
- (क) भाग-क-निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक् रखी गई भूमि दर्शाते हुए प्ररूप क में, जिसे निस्तार पत्रक के नाम से जाना जाएगा;
- (ख) भाग-ख-निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक् रखी गई भूमि से अन्यथा समस्त भूमियों को दर्शाते हुए प्ररूप ख में।
- (2) भाग-क में प्ररूप क में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले दखलरहित सर्वेक्षण संख्यांक निस्तार अधिकारों के विभिन्न शीर्षों में उसी अनुक्रम में दिखाए जाएंगे जिसमें उनका उल्लेख धारा 237 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (ज), में किया गया है उसके बाद नियम 3 में उल्लिखित शीर्ष (ट) (एक) से (ट) (आठ) हैं। किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक होने की दशा में

प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक का क्षेत्रफल पृथक्-पृथक् दर्शाया जाएगा। प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल का उप-योग पृथक्-पृथक् दर्शाया जाएगा और समस्त शीर्षों के अंतर्गत क्षेत्रफल का महा-योग अंत में दर्शाया जाएगा। समस्त सड़कें, गलियां और वृक्ष वन (राजस्व वन) या झाड़ियों के जंगल वाली ऐसी भूमियां जो इमारती या ईंधन आरक्षित के रूप में चिन्हित की गई हैं वे इस प्ररूप में दिखाई देंगी। अनुसूचित जनजाति और पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) के अधीन ग्रामवासियों को राजस्व वन में यदि कोई निस्तार (सामुदायिक) अधिकार दिए गए हैं, वे अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) भाग-ख में प्ररूप ख में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले दखलरहित सर्वेक्षण संख्यांक को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा-

- (क) पहाड़ियों और चट्टानों से आवृत भूमि;
- (ख) पानी के नीचे की भूमि; और
- (ग) अन्य भूमियां।

किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक होने की दशा में, प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक का क्षेत्रफल पृथक् रूप में दर्शाया जाएगा। प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल का उप-योग पृथक्-पृथक् दर्शाया जाएगा और सभी शीर्षों का महा-योग अंत में दर्शाया जाएगा। ऐसे सर्वेक्षण संख्यांक जो त्यजित या परित्यक्त कर दिए गए हैं या जो अन्यथा राज्य सरकार में निहित हो गए हैं और ऐसे निहित होने के पश्चात् निराकरण के लिए उपलब्ध हैं, इस प्ररूप में दर्शाए जाएंगे। कॉलम (3) में के समस्त अंकों और कॉलम (4) में के क्षेत्रफल का योग अंत में लगाया जाएगा। जैसे ही किसी सर्वेक्षण संख्यांक या उसके अंश का निराकरण हो जाए, उसे इसमें से उसकी प्रविष्टि पर लकीर खींचकर प्रविष्टि को अद्यतन करते हुए काट दिया जाएगा और निराकरण की रीति तथा तारीख की एक टीप कॉलम (5) में दी जाएगी। प्रत्येक व्यवहार के पश्चात् अंत में योग को भी ठीक किया जाएगा।

- (4) समस्त दखलरहित क्षेत्र का पूर्ण योग अंत में लगाया जाएगा। आबादी के अंतर्गत क्षेत्र इनमें से किसी प्ररूप में नहीं दिखेगा क्योंकि आबादी दखलरहित भूमि में सम्मिलित नहीं है।
- (5) जब कभी नया सर्वेक्षण संख्यांक धारा 237 की उप-धारा (1) के अधीन निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक् रखा जाता है या उक्त उप-धारा के अधीन पृथक् रखी गई भूमि धारा 237 की उप-धारा (3) या (4) के अधीन व्यपवर्तित की

जाती है, तो यथास्थिति, प्ररूप क एव प्ररूप ख की प्रविष्टियों में उपान्तरण तहसीलदार द्वारा कार्यान्वित और प्रमाणित किए जाएंगे।

- (6) इन अभिलेखों की ग्राम-वार प्रति ग्राम पंचायत में रखी जाएगी और दूसरी प्रति तहसील कार्यालय में रखी जाएगी।

5. नगरीय क्षेत्र में की दखलरहित भूमि का अभिलेख -

- (1) धारा 233 के अधीन किसी नगरीय क्षेत्र में की समस्त दखलरहित भूमि का अभिलेख दो भागों में तैयार किया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) भाग-क-धारा 233 क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई भूमि दर्शाते हुए प्ररूप ग में; और
(ख) भाग-ख-लोक प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई भूमि से अन्यथा समस्त भूमियों को दर्शाते हुए प्ररूप घ में।

- (2) कलक्टर द्वारा धारा 233 क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई दखलरहित भूमि के सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक की प्रविष्टि भाग-क प्ररूप ग में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत की जाएगी :-

(एक) मनोरंजन के लिए (जैसे उद्यान, हरित क्षेत्र या वनाच्छादित क्षेत्र, क्षेत्रीय उद्यान (प्राणी शास्त्रीय या वनस्पति शास्त्रीय) प्राकृतिक क्षेत्रों या भू दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण, खेल के मैदान, स्टेडियम, झील के सामने का विकास और प्रदर्शनी मैदान);

(दो) सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक प्रयोजन के लिए (जैसे सार्वजनिक संस्थाएं और प्रशासनिक क्षेत्र/शिक्षण और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/ सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां);

(तीन) परिवहन प्रयोजनों के लिए (जैसे बस स्टैंड या टरमिनस, बस-पिक अप स्टेशन, सड़कें, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, बस डिपो, ट्रांसपोर्ट नगर, हेलीपेड/हवाई अड्डा तथा मेट्रो रेल स्टेशन);

(चार) सार्वजनिक उपयोगिता और सुविधा प्रयोजनों के लिए (जैसे जल शोधन संयंत्र, मल शोधन संयंत्र, ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रंक लाइन कॉरीडोर, जल/मल/अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइन/गैस या

तेल पाइप लाइन और संबंधित संरचनाएं, रेडियो/टी.वी स्टेशन, दूरसंचार केन्द्र, अग्नि नियंत्रण स्टेशन और ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र;

(पांच) श्मशान/कब्रिस्तान के लिए; और

(छह) अन्य लोक प्रयोजन।

- (3) किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत जाने एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू-खंड संख्यांक सम्मिलित किए जाने की दशा में प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक का क्षेत्रफल पृथक्-पृथक् दर्शाया जाएगा। प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल का योग पृथक्-पृथक् दर्शाया जाएगा और धारा 233 क के अधीन अलग-अलग शीर्षों की समस्त क्षेत्र आरक्षित भूमि का महा-योग अंत में दर्शाया जाएगा।
- (4) प्ररूप घ में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले दखलरहित सर्वेक्षण संख्यांकों/ब्लॉक संख्यांकों/भूखण्ड संख्यांकों को अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। ऐसे सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक जो परित्यक्त कर दिए गए हैं या जो अन्यथा राज्य सरकार में निहित हो गए हैं और ऐसे निहित होने के पश्चात् निराकरण के लिए उपलब्ध हैं, इस प्ररूप में दर्शाए जाएंगे। कॉलम (3) के समस्त अंकों और कॉलम (4) के क्षेत्रफल का योग अंत में लगाया जाएगा। जैसे ही किसी सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक या उसके अंश का निराकरण हो जाए, उसे इस प्ररूप में उसकी प्रविष्टि को लकीर से काट दिया जाएगा और निराकरण की रीति तथा उसके दिनांक की टिप्पणी कॉलम (5) में दी जाएगी। प्रत्येक सव्यवहार के पश्चात् अंत में योग को भी ठीक किया जाएगा।
- (5) जब कभी नया सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक, लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखा जाता है या उनका लोक प्रयोजन परिवर्तित किया जाता है या पृथक् रखा जाना प्रत्याहृत किया जाता है, ऐसे प्ररूप ग की प्रविष्टियों का उपांतरण, प्ररूप घ में तहसीलदार द्वारा प्रभावित और प्रमाणित किया जाएगा।
- (6) इन अभिलेखों की सेक्टर-वार एक प्रति स्थानीय निकाय के कार्यालय में रखी जाएगी और दूसरी प्रति तहसील कार्यालय में रखी जाएगी।

6. निस्तार पत्रक का तैयार किया जाना—(1) ग्राम की ग्राम सभा, उप खण्ड अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर या स्वप्रेरणा से, ग्राम विकास समिति से निस्तार पत्रक का प्रारूप तैयार करने को कह सकेगी।

(2) निस्तार पत्रक का प्रारूप, विकास योजना, यदि कोई है, के अध्याधीन रहते हुए धारा 234, 235, 236 एवं 237 तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में तैयार किया जाएगा।

(3) उप खण्ड अधिकारी, निस्तार पत्रक का प्रारूप तैयार करने में सहायता करने के लिए ग्राम सभा को अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं, जैसी कि वह ठीक समझे, उपलब्ध कराएगा।

(4) ग्राम विकास समिति द्वारा तैयार किया गया निस्तार पत्रक का प्रारूप ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा जो इसे उपांतरण या बिना उपांतरण के अनुमोदित कर सकेगी और इसे उप खण्ड अधिकारी की ओर भेज सकेगी।

(5) उप खण्ड अधिकारी, ग्राम सभा से प्राप्त निस्तार पत्रक के प्रारूप का परीक्षण करेगा और किसी प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि के क्षेत्रफल में प्रकरण की परिस्थितियों या समुदाय की रूचि के अनुसार परिवर्तन, प्रतिस्थापन या समायोजन कर सकेगा, जो कि पूर्ण रूप से अपेक्षित हो, और—

(एक) एक से अधिक ग्रामों के बारे में चराई, इमारती लकड़ी और ईंधन के निस्तार क्षेत्र बना सकेगा;

(दो) किसी भी ग्राम की भूमि पर ग्रामों के पारस्परिक अधिकारों को अभिलिखित कर सकेगा; और

(तीन) राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी सुविधा का उपबंध कर सकेगा।

(6) उप-खण्ड अधिकारी द्वारा निस्तार पत्रक का प्रारूप तैयार किए जाने के पश्चात्, उसे प्रारूप ड में सूचना सहित ग्राम के निवासियों से आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया जाएगा और उसमें ऐसी तारीख (जो प्रकाशन की तारीख से 15 दिन से कम की नहीं होगी) जिस पर और वह स्थल (जो चौपाल, गुड़ी, चावड़ी या उसका कोई अन्य उपयुक्त स्थान हो सकता है) जहां ऐसी आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा, विनिर्दिष्ट होंगे। ऐसी उद्घोषणा केवल उस ग्राम में ही नहीं होगी जिसका निस्तार पत्रक तैयार किया गया है, अपितु अन्य ग्रामों में भी होगी जो उसके द्वारा प्रभावित हों। उद्घोषणा की रीति वह होगी जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 31 में अधिकथित हैं।

- (7) उप-खण्ड अधिकारी, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों और सुझावों का, यदि कोई हों, परीक्षण करेगा और उन पर आदेश पारित करेगा।
 - (8) उप-खण्ड अधिकारी, आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हों, पर विचार करने और उनका निराकरण करने के पश्चात् निस्तार पत्रक में ऐसे उपांतरण कर सकेगा जो वह आपत्तियों और सुझावों पर दिए गए अपने विनिश्चय के प्रकाश में आवश्यक समझे।
 - (9) अंतिम निस्तार पत्रक ग्राम में या उपयुक्त केन्द्रों पर पढ़ कर सुनाया जाएगा और उसकी प्रति पटवारी, ग्राम पंचायत तथा तहसील कार्यालय में रखी जाएगी।
 - (10) उप-नियम (9) के अधीन निस्तार पत्रक को अंतिम किए जाने और प्रकाशित किए जाने के पश्चात् ग्राम सभा द्वारा उसके उपस्थित तथा मतदान करने वाले कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प पर उप-खण्ड अधिकारी, कलक्टर की पूर्व अनुमति से तथा ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, निस्तार पत्रक की प्रविष्टि उपांतरित कर सकेगा या ग्राम वासियों के अतिरिक्त निस्तार अधिकारों को पूरा करने के लिए निस्तार पत्रक की किसी प्रविष्टि के अधीन अतिरिक्त दखलरहित भूमि अभिलिखित कर सकेगा।
 - (11) जब कभी किसी नगरीय क्षेत्र के गठन या विस्तारण के फलस्वरूप निस्तार पत्रक में किसी प्रयोजन के लिए अभिलिखित कोई भूमि ऐसे नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर आती है, ऐसी भूमि धारा 233 क के अधीन उक्त कथित प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई समझी जाएगी, जब तक कि कलक्टर धारा 233 क के अधीन कोई अगले आदेश पारित नहीं करता है।
7. धारा 237 की उप-धारा (1) के अधीन पृथक् रखी गई भूमि का आबादी या अन्य प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तन—(1) कोई ग्रामपंचायत, धारा 237 की उप-धारा (1) के अधीन पृथक् रखी गई कोई दखलरहित भूमि को आबादी में, धारा 237 की उप-धारा (3) में उल्लिखित किसी प्रयोजन में व्यपवर्तित करने के लिये ग्राम सभा द्वारा सम्यक् रूप से पारित संकल्प की प्रति के साथ कलक्टर को आवेदन दे सकेगी।
- (2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से कलक्टर यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि धारा 237 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए ग्राम की कुल कृषिक भूमि के कम से कम दो

प्रतिशत का क्षेत्रफल सुरक्षित है, ऐसी भूमि आबादी में या धारा 237 की उप-धारा (3) में उल्लिखित किसी प्रयोजन में व्यपवर्तित कर सकेगा:

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यपवर्तन से सर्वप्रथम आबादी की आवश्यकता, यदि कोई है, की और तत्पश्चात् ही अन्य प्रयोजनों की पूर्ति की जाएगी।

- (3) उप नियम (2) के अधीन व्यपवर्तित भूमि में से, कलक्टर उतना क्षेत्र जितना कि भविष्य में विकास को ध्यान रखते हुए युक्ति-युक्त तथा आवश्यक हो, ऐसी व्यपवर्तित भूमि से सरकारी भवनों के लिए सुरक्षित घोषित करेगा और इस प्रकार सरकारी भवनों के लिए सुरक्षित भू-खण्ड क्षेत्र अनुरक्षण के लिए ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाएंगे।
- (4) आबादी में व्यपवर्तित भूमि नियम 12 के अनुसार निर्वर्तित की जाएगी।
- (5) जब धारा 237 की उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए पृथक् से रखी गई भूमि का, ऐसी विकास और अधोसंरचना परियोजनाओं जो राज्य सरकार की स्वामित्व की हैं या अनुमोदित हैं, किन्तु धारा 237 की उप-धारा (3) के अधीन नहीं आती हैं, व्यपवर्तन अपरिहार्य हो जाता है, तो कलक्टर, उपलब्ध विकल्पों पर अपना समाधान कर लेने के पश्चात् और संबंधित परियोजनाओं से उन्हीं निस्तार अधिकारों की पूर्ति करने के लिए समतुल्य क्षेत्र की भूमि अभिप्राप्त कर लेने पर ही इस आशय को तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए, ऐसे प्रयोजन के लिए भूमि व्यपवर्तित कर सकेगा।

भाग-तीन

वाजिब-उल-अर्ज

8. वाजिब-उल-अर्ज में रूढ़ियों का अभिनिश्चित किया जाना एवं अभिलिखित किया जाना—(1) धारा 242 की उप-धारा (1) के अधीन रूढ़ियां अभिनिश्चित की जाएंगी तथा वाजिब-उल-अर्ज में निम्नलिखित शीर्षों के अधीन अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात्:—

- (क) सिंचाई का अधिकार;
- (ख) अन्य जल अधिकार;
- (ग) मछली पकड़ने का अधिकार;
- (घ) मार्ग, ग्राम सड़कें, पथों, नालियों के तथा इसी प्रकार के अधिकार;
- (ङ) ग्राम की भूमि पर अन्य ग्रामों के व्यक्तियों के अधिकार;
- (च) अन्य ग्रामों की भूमि पर ग्राम वासियों के अधिकार;
- (छ) अन्य सुखाचार—

- (एक) कब्रिस्तान तथा श्मशान भूमि;
- (दो) गोठान;
- (तीन) पड़ाव की भूमि;
- (चार) खलिहान;
- (पांच) बाजार;
- (छह) चमड़ा निकालने का स्थान;
- (सात) पशु चराने तथा ईंधन लेने का अधिकार; और

(ज) अन्य विविध अधिकार।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रूढ़ियां को अभिनिश्चित तथा अभिलिखित करने में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :-

- (क) उपखण्ड अधिकारी ग्राम के पिछले बन्दोबस्त के समय तैयार किए गए वाजिब-उल-अर्ज, यदि कोई हों, और ग्राम सभा से परामर्श के पश्चात्, विद्यमान रूढ़ियों को उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट शीर्षों में सम्मिलित करते हुए वाजिब-उल-अर्ज का प्रारूप तैयार करेगा।
- (ख) उपखण्ड अधिकारी ग्राम वासियों को यह कथन करते हुए कि क्या वे प्रारूप में अभिलिखित किसी रूढ़ि पर कोई आपत्ति करते हैं अथवा किसी रूढ़ि को उसमें अभिलिखित किए जाने की वांछा करते हैं, अपने दावे तथा आपत्तियों, को एक विनिर्दिष्ट तारीख तक, जो घोषणा की तारीख से पंद्रह दिन से अधिक न हो, प्रारूप 'च' में उद्घोषणा के साथ प्रारूप वाजिब-उल-अर्ज को ग्राम में प्रकाशित करेगा। उद्घोषणा की रीति ऐसी होगी जैसी कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 31 में अधिकथित है।
- (ग) दावे या आपत्तियां प्राप्त करने हेतु नियत तारीख के अवसान के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी किसी तारीख को, जिसकी घोषणा डुग्गी पीटकर या अन्य माध्यम से की जाएगी, ग्राम में ऐसी जांच करेगा, जो वह उचित समझे।
- (घ) तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी इस प्रकार अभिनिश्चित रूढ़ियों का अभिलेख तैयार करेगा और ऐसा अभिलेख ग्राम का वाजिब-उल-अर्ज कहलाएगा।

9. वाजिब-उल-अर्ज का प्रकाशन-(1) वाजिब-उल-अर्ज तैयार हो जाने के पश्चात्

उसे ग्राम में या किसी ऐसे अन्य उचित केन्द्र में, पढ़कर सुनाया जाएगा और उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में या ग्राम के ऐसे अन्य उचित स्थान पर चिपकाई जाएगी जैसा उपखण्ड अधिकारी अवधारित करे।

(2) वाजिब-उल-अर्ज की प्रतियां ग्राम पंचायत और तहसील के कार्यालय में रखी जाएंगी।

भाग-चार आबादी

10. आबादी के लिए और क्षेत्र का आरक्षण—जहां किसी ग्राम में आबादी के लिए उपलब्ध क्षेत्र, कलक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहां किसी ग्राम में आगामी 10 वर्षों के लिये ऐसे ग्राम के लिए आवश्यकताओं का आंकलन कर सकेगा तथा ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात् वह ग्राम को उपलब्ध दखलरहित भूमि में से धारा 243 की उपधारा (1) के अधीन ऐसा और क्षेत्र आरक्षित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परंतु यदि ऐसी दखलरहित भूमि निस्तार पत्रक में सगिलित है तो नियम 7 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

11. आबादी के विस्तारण के लिये अर्जन—यदि कलक्टर आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र को अपर्याप्त पाता है और दखलरहित भूमि में आगे कोई उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, तो कलक्टर आबादी के विस्तारण के लिये धारा 243 की उपधारा (2) के अधीन कोई भूमि अर्जित कर सकेगा और भूमि के ऐसे अर्जन के लिए प्रतिफल और भुगतान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

12. आबादी में स्थल का निर्वतन—(1) धारा 244 के अधीन आबादी में किसी स्थल के किसी निर्वतन के पूर्व, तहसीलदार ग्राम के निवासियों की इच्छाओं को अभिनिश्चित करने के पश्चात् आबादी में गृहस्थलों के लिए उपलब्ध भूमि का अभिन्यास तैयार कराएगा।

(2) ऐसा अभिन्यास,—

(क) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन बने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012; या

(ख) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन बने मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014;

ऐसे मामलों में जहां उपरोक्त खण्ड (क) या (ख) में उल्लिखित नियम प्रवृत्त हैं, के उपबंधों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

(3) ऐसे मामलों में, जहां उपनियम (2) के उपरोक्त खण्ड (क) या (ख) में उल्लिखित नियम प्रवृत्त नहीं हैं, वहां अभिन्यास निम्नलिखित विशिष्टियों का उपयोग करते हुए तैयार किया जाएगा :-

- (क) किसी भूखण्ड का आयतन 200 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा;
- (ख) मुख्य सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 6 मीटर होगी तथा अन्य सड़कें और गलियां चौड़ाई में 4.5 मीटर से कम की नहीं होगी;
- (ग) सड़कें जहां तक हो सके, सीधी होंगी तथा इस प्रकार अभिन्यस्त की जाएंगी जिससे वे एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई प्रायः चलने वाली हवाओं की दिशा में रहें;
- (घ) भूखण्डों की प्रत्येक पंक्ति के पीछे की और नालियों और सफाई का प्रबंध करने हेतु लिए 4.5 मीटर की चौड़ाई में भूमि होगी।

(4) अभिन्यास (ले-आउट) धारा 107 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन तैयार किए गए आबादी के नक्शे में दिखाया जाएगा तथा भूखण्डों के ब्यौरे धारा 107 के अधीन विरचित नियमों के अधीन विहित किए गए रजिस्टर में दिखाए जाएंगे।

(5) तहसीलदार उसे प्रस्तुत किए गए आवेदन पर, समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए और शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए गए निर्देशों के अनुसार भूखण्डों को शाश्वत पट्टे पर आबंटित करेगा।

(6) भूखण्डों का आबंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- (क) भूखण्ड का निर्माण युक्त क्षेत्रफल किसी भी मामले में भूखण्ड के तीन चौथाई क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा;
- (ख) योजना इस प्रकार रेखित की जाएगी और भवन इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे जिससे सड़क के किनारे से 3 मीटर से अन्यून स्थान खुला छूट जाए:

परंतु वह खुला स्थान ऐसे छज्जे

से छाया जा सकता है जो दीवारों से घिरा न हो;

- (ग) भूखण्डों का उस पर केवल निवास गृह के निर्माण के प्रयोजन और उससे आनुषंगिक प्रयोजन के लिए ही उपयोग किया जाएगा तथा भूखण्ड या उसके किसी भाग का किसी भी अन्य प्रयोजन, वह जो भी हो, के लिए नहीं किया जाएगा;
- (घ) भूखण्ड धारक, भूखण्ड पर निर्मित भवन को मरम्मत की अच्छी स्थिति में रखेगा;
- (ङ) भूखण्ड धारक भूखण्ड को और उस पर निर्मित भवन को अच्छी स्वास्थ्यप्रद स्थिति में रखेगा; और
- (च) किसी भूखण्ड धारक द्वारा इन शर्तों में से किसी को भी भंग किए जाने की दशा में, वह निष्कासित किए जाने का दायी होगा।

प्ररूप क
(नियम 4 देखें)
निस्तार पत्रक

ग्राम का नाम पटवारी हल्का क्रमांक
राजस्व निरीक्षक वृत्त क्रमांक तहसील.....जिला.....

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 237 की उप धारा (1) के अधीन नीचे दर्शित विभिन्न प्रयोजनों के लिए पृथक् की गई दखलरहित भूमि-

अनुक्रमांक	निस्तार अधिकारों के विवरण (प्रयोजन)	सर्वेक्षण संख्यांक / भूखण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल हैक्टर / वर्गमीटर में	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(क) इमारती लकड़ी अथवा ईंधन के हेतु आरक्षित (टीप 1 देखें)	(1) (2) (3)		
	उप-योग			

2.	(ख) चरोखर, घासबीड अथवा चारे के हेतु आरक्षित (टीप 2 देखें)	(1) (2) (3)		
उप-योग				
3.	(ग) कब्रिस्तान तथा श्मशान (टीप 3 देखें)	(1) (2) (3)		
उप-योग				
4.	(घ) गौठान	(1) (2) (3)		
उप-योग				
5.	(ङ) शिविर भूमि	(1) (2) (3)		
उप-योग				
6.	(च) खलिहान (टीप 4 देखें)	(1) (2) (3)		
उप-योग				
7.	(छ) बाजार (टीप 5 देखें)	(1) (2) (3)		
उप-योग				
8.	(ज) खाल निकालने के स्थान (टीप 6 देखें)	(1) (2) (3)		
उप-योग				
9.	(झ) खाद के गड्ढे	(1)		

	(टीप 7 देखें)	(2) (3)		
उप-योग				
10.	(अ) (एक) लोक प्रयोजन जैसे पाठशाला, खेल के मैदान, बगीचे, जल निकास तथा इसी प्रकार के प्रयोजन (टीप 8 देखें)	(1) (2) (3)		
उप-योग				
11.	(अ) (दो) सड़कें, मार्ग, तथा गलियां (दिशाओं को सम्मिलित करते हुए) (क) स्थायी (पक्की/टार/सी सी सड़कें) (ख) स्थायी (कच्ची सड़कें) (ग) मौसमी सड़कें (घ) स्थायी पगडंडियां (ङ) मौसमी पगडंडियां (च) पशुओं के लिए गोहा	(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)		

		(2) (3)		
	उप-योग			
12.	(ट)- (एक) निस्तारी अधिकारों के प्रयोग के लिए मुरम, कंकड़, रेत, मिट्टी, पत्थर (टीप 9 देखें)	(1) (2) (3)		
	उप-योग			
13.	(ट)- (दो) सिंचाई तथा जल अधिकार (क) सिंचाई के उपयोग में लाए जाने वाले तालाब (ख) सिंचाई के अतिरिक्त अन्य निस्तारों के उपयोग में लाए जाने वाले तालाब (टीप 10 तथा 11 देखें)	(1) (2) (3) (1) (2) (3)		
	उप-योग			
14.	(ट) (तीन) दखलरहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों में अधिकार (टीप 12 देखें)	(1) (2) (3)		
	उप-योग			
15.	(ट) (चार) मनोरंजन प्रयोजन के लिए (क) उद्यान (ख) हरित क्षेत्र या वनाच्छादित क्षेत्र	(1) (2) (3) (1) (2) (3)		

	(ग) क्षेत्रीय उद्यान (प्राणी शास्त्रीय या वनस्पति शास्त्रीय)	(1) (2) (3)		
	(घ) प्राकृतिक क्षेत्र या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(1) (2) (3)		
	(ङ) स्टेडियम	(1) (2) (3)		
	(च) झील के सामने का विकास	(1) (2) (3)		
	(छ) प्रदर्शनी मैदान	(1) (2) (3)		
	उप-योग			
16.	(ट) - (पांच) सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक प्रयोजन के लिए (क) सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्र	(1) (2) (3)		
	(ख) शिक्षण और अनुसंधान	(1) (2) (3)		
	(ग) स्वास्थ्य	(1) (2) (3)		

	(घ) सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां	(1) (2) (3)		
उप-योग				
17.	(ट) (छह) परिवहन प्रयोजनों के लिए—			
	(क) बस स्टैंड या टर्मिनस, बस पिक अपस्टेशन	(1) (2) (3)		
	(ख) सड़कें	(1) (2) (3)		
	(ग) रेलवे स्टेशन	(1) (2) (3)		
	(घ) रेलवे लाइन	(1) (2) (3)		
	(ङ) बस डिपो	(1) (2) (3)		
	(च) ट्रांसपोर्ट नगर	(1) (2) (3)		
	(छ) हेलीपेड / हवाई अड्डा	(1) (2) (3)		
	(ज) मेट्रो रेल स्टेशन	(1) (2)		

		(3)		
	उप-योग			
18.	(ट) (सात) सार्वजनिक उपयोगिता और सुविधा प्रयोजनों के लिए -			
	(क) जल शोधन संयंत्र	(1) (2) (3)		
	(ख) मल शोधन संयंत्र	(1) (2) (3)		
	(ग) ट्रेचिंग ग्राउंड	(1) (2) (3)		
	(घ) ट्रंक लाइन कॉरिडोर	(1) (2) (3)		
	(ङ) जल/मल लाइन	(1) (2) (3)		
	(च) अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत् लाइनें	(1) (2) (3)		
	(छ) गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं	(1) (2) (3)		
	(ज) रेडियो/टी वी स्टेशन	(1) (2) (3)		

	(ज) दूरसंचार केन्द्र	(1) (2) (3)		
	(ट) अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(1) (2) (3)		
	(ठ) ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र	(1) (2) (3)		
उप-योग				
19.	(ट) (आठ) अनुसूचित जनजाति और पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) के अधीन दिए गए कोई निस्तारी (सामुदायिक) अधिकार, (क)	(1) (2) (3)		
	(ख)	(1) (2) (3)		
	(ग)	(1) (2) (3)		
उप-योग				
20.	(ट) (नौ) कोई अन्य प्रयोजन जो विहित किया जाए— (क)	(1) (2)		

	(ख)	(3)		
		(1)		
		(2)		
		(3)		
	(ग)	(1)		
		(2)		
		(3)		
उप-योग				
		महायोग		

- टीप- 1. उन निबंधनों और शर्तों जिन पर तथा वह सीमा जिस तक निवासी लकड़ी, इमारती लकड़ी जलाऊ, बेलें, जड़े, पत्तियां, कटीली झाड़ियां, बागड़ के बांस,फल तथा गौण उपज प्राप्त कर सकेंगे, के बारे में अभ्युक्ति कालम में एक टीप की जाए।
2. निबंधनों तथा शर्तों जिस पर ग्राम में पशुओं को चराने को अनुज्ञात किया गया है तथा पशुओं को निशुल्क चराए जाने के बारे में भी है, के बारे में अभ्युक्ति कालम में एक टीप की जाए।
3. यदि कोई सर्वेक्षण संख्याक किसी समुदाय हेतु कब्रिस्तान अथवा श्मशान के रूप में प्रयोग किया जाता है, अभ्युक्ति कालम में एक टीप की जाए।
4. खलिहानों के लिए पृथक् किए गए क्षेत्र के वितरण तथा उपयोग के संबंध में रूढ़ियों को अभ्युक्ति कालम में अभिलिखित किया जाए।
5. बाजार शोध्य उद्ग्रहीत करने के संबंध में सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना कोई प्रविष्टि न की जाए।
6. यदि इस प्रयोजन के लिए पृथक की गई भूमि के उपयोग को विनियमित करने वाली कोई विशेष रूढ़ि हो तो अभ्युक्ति कालम में एक टीप की जाए।
7. अभ्युक्तियां कालम में निवासियों के अपने स्वयं के खाद अथवा कचरे पर या उसको किसी ग्राम के विशेष या प्रत्येक भाग में एकत्र करने के यदि कोई

अधिकार हो तथा खाद के गड्ढे की भूमि के उपयोग को विनियमित करने वाली रूढ़ि की अभ्युक्ति कालम में एक टीप की जाए।

8. प्रयोजन जिसके लिए कोई सर्वेक्षण संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक आरक्षित किया गया है उसे अभ्युक्ति कालम में अभिलिखित किया जाए।
9. उन निबंधनों और शर्तों जिन पर तथा वह सीमा जिस तक निवासी मदों को प्राप्त कर सकते हैं, उसे अभ्युक्ति कालम में कथित किया जाए।
10. सिंचाई तथा अन्य जल अधिकारों की दशा में तालाब से सिंचित खेतों की सूची को सम्मिलित करते हुए उसके सर्वेक्षण संख्यांक, क्षेत्रफल और निशुल्क सिंचित फसल के ब्यौरे अभ्युक्ति कालम में उल्लिखित होंगे।
11. केवल वे ही तालाब उल्लिखित होंगे जो मध्यस्थों के अधिकारों की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार में निहित हो गये हैं।
12. दखलरहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों में अधिकारों की दशा में फलदार वृक्षों की संख्या और व्यक्तियों के नाम जो वृक्षों के आधिपत्य में हैं, को अभ्युक्ति कालम में उल्लिखित किया जाए।

प्ररूप ख

(नियम 4 देखें)

**निस्तार अधिकारों प्रयोग के लिए पृथक् रखी गई
भूमि से भिन्न ग्राम की दखलरहित भूमि**

ग्राम का नाम पटवारी हल्का क्रमांक

राजस्व निरीक्षक वृत्त क्रमांक तहसील.....जिला.....

अनुक्रमांक	भूमि के विवरण	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भू - खंड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर में)	निराकरण की रीति और दिनांक (यदि निराकरण किया गया है)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पहाड़ और चट्टानों से आवृत भूमि	(1) (2) (3)			
	उप-योग				
2.	पानी के नीचे की भूमि	(1) (2) (3)			
	उप-योग				
3.	अन्य भूमि	(1) (2) (3)			
	उप-योग				
	महा योग				

प्ररूप ग
(नियम 5 देखें)

लोक प्रयोजनों के लिए नगरीय क्षेत्र में पृथक् रखी गई दखलरहित भूमि

सेक्टर का नाम और उसका संख्यांक.....नगरीय क्षेत्र का नाम
.....तहसील जिला

अनुक्रमांक.	लोक प्रयोजन के शीर्ष	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भू - खंड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर में)	विकास योजना में उल्लिखित प्रयोजन (यदि कोई हो)	अभ्युक्तिय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(एक)	मनोरंजन के लिए (क) उद्यान	(1) (2) (3)			
	(ख) हरित क्षेत्र या वनाच्छादित क्षेत्र	(1) (2) (3)			
	(ग) क्षेत्रीय उद्यान (प्राणि शास्त्रीय या वनस्पति शास्त्रीय)	(1) (2) (3)			
	(घ) प्राकृतिक क्षेत्र या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(1) (2) (3)			
	(ङ) खेल का मैदान	(1) (2)			
	(च) स्टेडियम	(3)			

	(च) स्टेडियम	(1) (2) (3)			
	(छ) झील के सामने का विकास	(1) (2) (3)			
	(ज) प्रदर्शनी मैदान	(1) (2) (3)			
उप-योग					
(दो)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक प्रयोजन के लिए	(1) (2) (3)			
	(क) सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्र	(1) (2) (3)			
	(ख) शिक्षण और अनुसंधान	(1) (2) (3)			
	(ग) स्वास्थ्य	(1) (2) (3)			
	(घ) सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां	(1) (2) (3)			
उप-योग					
(तीन)	परिवहन प्रयोजन के लिए-	(1) (2) (3)			
	(क) बस स्टैंड या टर्मिनस, बस पिक अप स्टेशन	(1) (2) (3)			

	(ख) सड़कें,	(1) (2) (3)			
	(ग) रेलवे स्टेशन,	(1) (2) (3)			
	(घ) रेलवे लाइन,	(1) (2) (3)			
	(ङ) बस डिपो,	(1) (2) (3)			
	(च) ट्रांसपोर्ट नगर,	(1) (2) (3)			
	(छ)हेलीपेड / हवाई अड्डा,	(1) (2) (3)			
	(ज) मेट्रो रेल स्टेशन,	(1) (2) (3)			
	उप-योग				
(चार)	सार्वजनिक उपयोगिता और सुविधा प्रयोजनों के लिए - (क) जल शोधन संयंत्र,	(1) (2) (3)			

(ख) मल शोधन संयंत्र,	(1) (2) (3)			
(ग) ट्रेडिंग ग्राउंड,	(1) (2) (3)			
(घ) ट्रंक लाइन कॉरिडोर,	(1) (2) (3)			
(ङ) जल/मल लाइन,	(1) (2) (3)			
(च) अतिरिक्त वोल्टेज विद्युतलाइन,	(1) (2) (3)			
(छ) गैस या तेल पाइप लाइन और संबंधित संरचनाएं,	(1) (2) (3)			
(ज) रेडियो/टी वी स्टेशन,	(1) (2) (3)			
(झ) दूरसंचार केन्द्र,	(1) (2) (3)			
(ञ) अग्नि नियंत्रण स्टेशन,	(1) (2) (3)			

प्ररूप ड
(नियम 6 देखें)

राजस्व प्रकरण क्रमांक.....

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, उप खण्ड जिला

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 234 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पटवारी हल्का क्रमांक तहसील जिला के संबंध में निस्तार पत्रक (जिसका प्रारूप इसके साथ संलग्न है) तैयार किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2. कोई भी व्यक्ति जो उक्त निस्तार पत्रक की किसी प्रविष्टि के संबंध में कोई आपत्ति करना चाहता है, कोई सुझाव देना चाहता है, वह उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास दिनांक (यहां दिनांक लिखें जो सूचना के दिनांक से 15 दिन के पश्चात् से कम न हो) के पूर्व भेज सकता है। आपत्तियों तथा सुझावों का परीक्षण दिनांक को स्थान पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के मध्य होगा।

3. मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा के अधीन दिनांक माह 20 को जारी की गई।

मुद्रा

(.....)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड
जिला

प्रतिलिपि ग्राम पंचायत की ओर सूचनार्थ प्रेषित

(.....)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड
जिला

प्ररूप घ
(नियम 5 देखें)

लोक प्रयोजनों के लिए नगरीय क्षेत्र में पृथक रखी गई भूमि से भिन्न दखलरहित भूमि

सेक्टर का नाम और उसका क्रमांक नगरीय क्षेत्र का नाम
.....तहसील..... जिला.....

अनुक्रमांक.	भूमि के विवरण	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भू-खंड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्गमीटर में)	निराकरण की रीति और दिनांक (यदि निराकरण किया गया है)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पहाड़ और चट्टानों से आवृत्त भूमि	(1) (2) (3)			
उप-योग					
2.	पानी के नीचे की भूमि	(1) (2) (3)			
उप-योग					
3.	अन्य भूमि	(1) (2) (3)			
उप-योग					
		महा योग			
	(ट) ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र	(1) (2) (3)			
उप-योग					
(पांच)	श्मशान/कब्रिस्तान के लिए	(1) (2) (3)			
उप-योग					
(छह)	अन्य प्रयोजनों के लिए	(1) (2) (3)			
उप-योग					
		महा योग			

प्ररूप च
(नियम 8 देखें)

राजस्व प्रकरण क्रमांक.....

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, उप खण्ड जिला

रूढ़ियों के अभिनिश्चित करने हेतु उद्घोषणा

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ग्राम तहसील जिला में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 242 की उप धारा (1) द्वारा अपेक्षित होने के कारण सिंचाई के अधिकार, अन्य जल अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, मार्ग के अधिकार, ग्राम की सड़कें, पथ, नालियां और इसी प्रकार के अन्य अधिकार, ग्राह की भूमि पर अन्य ग्रामों के व्यक्तियों के अधिकार, अन्य ग्रामों की भूमियों पर ग्रामवासियों के अधिकार या अन्य सुखाचार जैसे-कब्रिस्तान तथा श्मशान भूमि, गोठान, पड़ाव की भूमि, खलिहान, बाजार, चमड़ा निकालने का स्थान, पशु चराने तथा ईंधन लेने का अधिकार, उस भूमि अथवा जल जो राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार अथवा नियंत्रण में न हों, के संबंध में रूढ़ियों का अभिनिश्चित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान रूढ़ियों के वाजिब-उल-अर्ज के प्रारूप एतद्द्वारा, दावों एवं आपत्तियों हेतु प्रकाशित किये जाते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रविष्टि के संबंध में आपत्ति करता हो, अथवा वांछा करता हो कि प्रारूप में विनिर्दिष्ट शीर्षों के अधीन कोई रूढ़ि वाजिब-उल-अर्ज में अभिलिखित की जाए, अपनी आपत्ति या दावे, यदि कोई हों, दिनांक 20 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख स्थान पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे शाम तक प्रस्तुत करे।

दिनांक20

मुद्रा

(.....)
उप-खण्डअधिकारी
उप खण्ड
जिला

*टीप-उद्घोषणा के साथ वाजिब-उल-अर्ज का प्रारूप संलग्न किया जाना चाहिए।

राजस्व प्रकरण क्रमांक.....

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, उप खण्ड जिला

प्रारूप वाजिब-उल-अर्ज

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 242 के अधीन
ग्राम तहसील जिला में विद्यमान रूढियों
का वाजिब-उल-अर्ज तैयार करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप नीचे दर्शाया गया है :-

अनुक्रमांक	प्रयोजन के विवरण	विद्यमान रूढियों के विवरण	सर्वेक्षण संख्यांक / भू-खंड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्गमीटर में)	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सिंचाई का अधिकार				
2.	अन्य जल अधिकार				
3.	मछली पकड़ने का अधिकार				
4.	मार्ग, ग्राम सड़कें, पथ, नालियों के अधिकार तथा इसी प्रकार के अन्य अधिकार				
5.	ग्राम की भूमि पर अन्य ग्रामों के व्यक्तियों का अधिकार				
6.	अन्य ग्रामों की भूमि पर ग्रामवासियों के अधिकार				
7.	अन्य सुखाचार				
	(एक) कब्रिस्तान एवं श्मशान भूमि				
	(दो) गोठान				
	(तीन) पड़ाव की भूमि				
	(चार) खलिहान				
	(पांच) बाजार				
	(छः) चमड़ा निकालने का स्थान				
	(सात) पशु चराने तथा ईंधन लेने का अधिकार				
8.	अन्य विविध अधिकार				

दिनांक / 20.....

उप खण्ड अधिकारी

मुद्रा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2020

क्रमांक एफ-2-13-2019-सात-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-2-13-2019-सात-7, दिनांक 30 जनवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 30th January 2020

NOTICE

The following draft of rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 233, 233-A, 234, 235, 236, 238, 242, 243 and 244 and clause (lvii), (lvii-a), (lviii), (lix), (lxiii) and (lxiv) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, is hereby published as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the following draft of rules shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of rules on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF RULES

1. Short title.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu RajasvaSanhita (Dakhalrahit Bhumi, Abadi TathaWajib-ul-arz) Niyam, 2020.

PART - I GENERAL

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

- (a) “Aboriginal tribe” means any tribe declared to be an aboriginal tribe in respect of any area by a notification issued under sub-section (6) of Section 165;
- (b) “Chapter” means a Chapter of the Code;
- (c) “Code” means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
- (d) “Form” means forms appended to these rules;
- (e) “Gram Sabha” shall have the same meaning as given in clause (viii) of section 2 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No 1 of 1994);
- (f) “Gram Vikas Samiti” means a committee constituted under section 7A of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No 1 of 1994);
- (g) “Scheduled Castes” means a person who belongs to one of the Scheduled Castes specified in Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 in respect to State of Madhya Pradesh;
- (h) “Section” means a section of the Code.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Code shall have the same meaning as assigned to them in the Code.

PART – II

UNOCCUPIED LAND

3. Purposes for which unoccupied land may be set apart for exercise of Nistar rights.– Besides the purposes specified in clauses (a) to (j) of sub-section (1) of Section 237, Collector may set apart unoccupied land for following purposes, namely :-

- (k) (i) Extraction of muram, kankar, sand earth, clay, stones or any other minor mineral;

- (k) (ii) Irrigation and other water right;
- (k) (iii) Fruit bearing trees;
- (k) (iv) For recreation purpose (such as parks, Green Belts or afforested area, Regional Parks (Zoological or Botanical Parks), Preservation of Natural Areas or Landscape Areas, Stadiums, Lake Front Development and Exhibition Grounds);
- (k) (v) For Public and Semi-public purposes (such as Public Institutions and Administrative Area / Education and Research/ Health / Social / Cultural Institutional activities);
- (k) (vi) For Transportation purposes (such as Bus-Stands or Terminus, Bus-Pick-up Stations, Roads, Railway Stations, Railway Lines, Bus Depot, Transport Nagar, Hellipads/ Airport and Metro Rail Stations);
- (k) (vii) For Public Utilities and Facilities purposes (such as Water Treatment Plants, Sewerage Treatment Plant, Trenching Grounds, Trunk line Corridor, Water/ Sewer/ Extra Voltage Electric Lines/Gas or Oil Pipe Lines and related structures, Radio/ TV Stations, Telephone Exchange, Fire Control Stations and Solid waste Disposal Plants/ Decomposition Plants); and
- (k) (viii) Any Nistar (community) rights given under The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No 2 of 2007).

4. Record of unoccupied land in village.- (1) A record of all unoccupied land in each village under section 233 shall be prepared in two parts, namely:-

- (a) **Part-A-** Showing land set apart for exercise of Nistar rights in Form-A, which shall be known as Nistar Patrak;
- (b) **Part-B-** Showing all lands other than those set apart for exercise of Nistar rights in Form-B.

(2) The unoccupied survey numbers to be specified in Part-A in Form A shall be shown under the various heads of the Nistar rights in the same order in which they are mentioned in clauses (a) to (j) of sub-section (1) of section 237 followed by the heads k (i) to k (viii) mentioned in Rule- 3. In case of more than one survey number under a particular head, the area of each survey number shall be mentioned separately. The sub-total of area under each head shall be shown separately and the grand-total of area under all heads shall be shown at the end. All roads, lanes and such lands having tree forest (revenue forest) or shrub jungle which are earmarked as timber or fuel reserve shall appear in this Form. If any Nistar (community) rights have been given to the village community on revenue forest under The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007), these shall be recorded.

(3) The unoccupied survey numbers to be specified in Part – B in Form B shall be shown under following heads-

- (a) Land occupied by hills and rocks;
- (b) Land under water; and
- (c) Other Lands.

In case of more than one survey number under a particular head, the area of each survey number shall be mentioned separately. The sub-total of area under each head shall be shown separately and the grand total of area under all heads shall be shown at the end. Survey numbers which have been relinquished or abandoned or which otherwise vest in the State Government and are available after

such vesting for disposal shall be shown in this Form. The total of all numbers in column (3) and of area in column (4) shall be struck at the end. As soon as a survey number or part thereof is disposed of, it shall be struck off from this by drawing line across the entry updating such entry and a note of the manner and date of disposal, shall be made in column (5). The total at the end shall also be corrected after each transaction.

(4) A grand total of all the unoccupied area shall then be struck at the end. Area under abadi shall not appear in any of these Forms as abadi is not included in unoccupied land.

(5) Whenever new survey numbers are set apart for exercise of Nistar rights under sub-section (1) of Section 237 or land set apart under the said sub-section is diverted under sub-section (3) or (4) of Section 237, modifications in the entries of Form A, and Form B as the case may be, shall be effected and certified by Tahsildar.

(6) Village-wise copy of these record shall be kept with the Gram Panchayat and another copy shall be kept in the Tahsil office.

5. Record of unoccupied land in urban area.- (1) A record of all unoccupied land in an urban area under sections 233 shall be prepared in two parts, namely:-

- (a) Part-A- Showing land set apart for public purposes under section 233A in Form C; and
- (b) Part-B- Showing all lands other than those set apart for public purposes in Form D.

(2) The unoccupied survey numbers/block numbers/plot numbers of land set apart for public purposes by the Collector under section 233A shall be entered in Part-A in Form C under the following heads:-

(i) For recreation purpose (such as Parks, Green Belts or Afforested area, Regional Parks (Zoological or Botanical Parks), Preservation of Natural Areas or Landscape Areas, Play Grounds, Stadiums, Lake Front Development and Exhibition Grounds);

(ii) For Public and Semi-public purposes (such as Public Institutions and Administrative Area / Education and Research/ Health / Social / Cultural Institutional activities);

(iii) For Transportation purposes (such as Bus-Stands or Terminus, Bus-Pick-up Stations, Roads, Railway Stations, Railway Lines, Bus Depot, Transport Nagar, Hellipads/ Airport and Metro Rail Stations);

(iv) For Public Utilities and Facilities purposes (such as Water Treatment Plants, Sewerage Treatment Plant, Trenching Grounds, Trunk line Corridor, Water/ Sewer/ Extra Voltage Electric Lines/Gas or Oil Pipe Lines and related structures Radio/ TV Stations, Telephone Exchange, Fire Control Stations and Solid waste Disposal Plants/ Decomposition Plants /Decomposition-Plants);

(v) For Cremation /Burial ground; and

(vi) Other public purposes.

(3) In case more than one survey number/block number/plot number is included under a particular head, the area of each survey number/block number/plot number shall be mentioned separately. The sub-total of area under each head shall be shown separately and the grand-total of all the area reserved land under section 233A under different heads shall be shown at the end.

(4) The unoccupied survey numbers/block numbers/plot numbers to be specified in Form D shall be arranged serially. Survey numbers/block numbers/plot numbers which have been relinquished or abandoned or which otherwise vest in the State Government and are available after such vesting for disposal shall be shown in this Form. The total of all numbers in column (3) and of area in column (4) shall be struck at the end. As soon as a survey number/block number/plot number or part thereof is disposed of, it shall be struck off from this by drawing line across the entry or modifying such entry and a note of the manner and date of disposal, shall be made in column (5). The total at the end shall also be corrected after each transaction.

(5) Whenever new survey numbers/block numbers/plot numbers are set apart for public purposes, or their public purpose is changed or setting apart is rescinded, modifications in the entries of Form C and Form D shall be effected and certified by Tahsildar.

(6) Sector-wise copy of these record shall be kept with office of the local body and another copy shall be kept in the Tahsil Office.

6. Preparation of NistarPatrak.- (1) The Gram Sabha of a village may, on being called upon by the Sub-Divisional Officer or on its own motion, ask the Gram Vikas Samiti to prepare a draft of NistarPatrak.

(2) The draft of NistarPatrak shall be prepared, subject to the development plan, if any, in accordance with provisions of section 234, 235, 236 and 237 and these Rules.

(3) The Sub Divisional Officer shall make available to the Gram Sabha the service of such Officers and employees under him as he deems fit to assist in the preparation of the draft of NistarPatrak.

(4) The draft of NistarPatrak prepared by the Gram Vikas Samiti shall be placed before the Gram Sabha which may approve it with or without modification and send it to the Sub Divisional Officer.

(5) The Sub Divisional Officer shall examine the draft of NistarPatrak received from the Gram Sabha and may alter, substitute or adjust in a suitable manner, area of land reserved for any purpose, as the circumstances of the case or the interest of community as a whole may require, and may -

- (i) form grazing, timber and fuel Nistar zones in respect of more than one village;
- (ii) record mutual rights of neighbouring villages over the lands of either village; and
- (iii) provide for any concession ordered by the State Government.

(6) After the draft of the NistarPatrak is prepared by the Sub Divisional Officer, it shall be published, together with a notice in Form E inviting objections or suggestions from the residents of the village and specifying the date (which shall not be less than 15 days after the date of publication) on which and the place (which may be the office of Gram Panchayat, Chaupal, Gudi, Chaudi or any other suitable center in the locality) at which the objections or suggestions shall be considered. Such proclamation shall be made not only in the village for which the NistarPatrak is prepared but also in other villages affected by it. The manner of proclamation shall be as laid down in Rule 31 of the Madhya Pradesh Bhu-RajasvaSanhita (RajasvaNyayalayaon Ki Prakriya) Niyam, 2019.

(7) On the date and at the place specified in the notice, the Sub-Divisional Officer shall enquire into the objections or suggestions, if any, and pass order thereon.

(8) After the objections or suggestions, if any, are considered and disposed of, the Sub-Divisional Officer may make such modifications in the NistarPatrak as he may deem necessary in the light of his decisions on the objections and suggestions.

(9) The final NistarPatrak shall be read out in the village or at suitable centres, and copies thereof shall be kept with the patwari, Gram Panchayat and Tahsil office.

(10) After a NistarPatrak is finalised and published under sub-rule (9), on a resolution passed by the Gram Sabha by a majority of not less than two thirds of the members present and voting, the Sub-Divisional Officer may, with the prior sanction of Collector and also after making any such inquiry, as he deems fit, modify the entries in the NistarPatrak or record additional unoccupied land under any entry in the NistarPatrak for fulfilment of further Nistar rights of villagers.

(11) Whenever due to formation or expansion of an urban area, any land recorded in NistarPatrak for any purpose comes within the limits of such urban area, such land shall be deemed to be land set apart under Section 233A for the said purpose till further orders of Collector passed under section 233A.

7. Diverting of land set apart under sub-section (1) of Section 237 into abadi or for other purposes.- (1) Any Gram Panchayat may submit an application to the Collector, along with a copy of resolution duly passed by the Gram Sabha for

diverting any unoccupied land set apart under sub-section (1) of Section 237 into abadi, for any of the purposes mentioned in sub-section (3) of Section 237.

(2) On receipt of an application under sub-rule (1) or on his own motion, the Collector after ensuring, that minimum two percent area of total agricultural land of village is secured for the purpose mentioned in clause (b) of sub-section (1) of Section 237, may divert such land into abadi or any of the purposes mentioned in sub-section (3) of Section 237:

Provided that every such diversion shall be so made as to first fulfill the requirement of abadi, if any, and only thereafter of other purposes.

(3) Out of the land diverted under sub-rule (2), the Collector shall declare secured area for government buildings from such diverted land, as much as reasonable and necessary in view of future development and such secured area for government buildings shall be kept in custody of the Gram Panchayat for its maintenance.

(4) The land diverted into abadi shall be disposed of according to Rule 12.

(5) When it becomes indispensable to divert the land set apart for the purposes mentioned in sub-section (1) of section 237 for such development and infrastructural projects which are owned or approved by the State Government but not covered under sub-section (3) of section 237, the Collector, after satisfying himself on alternatives available and also on obtaining land of equivalent area for fulfilling the same Nistar rights from the concerned project, may divert the land for such purposes by passing a reasoned order to this effect.

PART III
WAJIB-UL-ARZ

8. Ascertaining and recording customs in Wajib-ul-arz.— (1) Customs under sub-section (1) of section 242 shall be ascertained and recorded in the Wajib-ul-arz under the following heads, namely:-

- (a) Right to irrigation;
- (b) Other water-rights;
- (c) Right to fishing;
- (d) Right of way, village roads, paths, drains and the like;
- (e) Rights of persons of other villages over the lands of the village;
- (f) Right of the villagers over the lands of other villages;
- (g) Other easements-
 - (i) Burial and cremation ground;
 - (ii) Goathan;
 - (iii) Encamping-ground;
 - (iv) Threshing –floor;
 - (v) Bazars;
 - (vi) Skinning –grounds;
 - (vii) Rights to graze and take fuel.
- (h) Other miscellaneous rights.

(2) The following procedure shall be followed in ascertaining and recording the customs specified in sub-rule (1) :-

- (a) Sub-Divisional Officer shall, after examine in the Wajib-ul-arz if any, of the village prepared at the last settlement, and after consulting Gram Sabha,

prepare draft of Wajib-ul-arz incorporating the existing customs, under the heads specified in sub-rule (1).

(b) The Sub-Divisional Officer shall publish the draft Wajib-ul-arz in the village along with a proclamation in Form F, calling upon the villagers to submit claims and objections to him by a specified date, which shall not be more than fifteen days from the date of proclamation, stating whether they object to any custom recorded in the draft or desire any customs to be recorded in it. The manner of proclamation shall be as laid down in rule 31 of the Madhaya Pradesh Bhu Rajaswa Sanhita (Rajaswa Nyayalayon ki Prakriya) Niyam, 2019.

(c) After the expiry of the date fixed for the receipt of claims or objections, the Sub-Divisional Officer shall, on a date to be announced by beat of drum or other means, make such enquiry in the village as he may deem fit.

(d) The Sub-Divisional Officer shall then, make a record of the customs so ascertained and such record shall be called as the Wajib-ul-arz of the village.

9. Publication of Wajib-ul-arz.- (1) After the Wajib-ul-arz is prepared, it shall be read out in the village or at suitable centers, and a copy thereof shall be posted in the office of the Gram Panchayat or such other suitable place in the village as may be determined by the Sub-Divisional Officer.

(2) copies of the Wajib-ul-arz shall be kept at in the office of Tahsil and Gram Panchayat.

PART-IV**ABADI**

10. To reserve further area for abadi.- Where the available area of abadi in any village is in the opinion of the Collector insufficient, he may assess the requirement for next ten years for such village and after consultation with the Gram Sabha, reserve such further area under sub-section (1) of section 243 from the unoccupied land available in the village:

Provided that if such unoccupied land is included in the NistarPatrak, procedure specified in Rule 7 shall be followed.

11. Acquisition for extension of abadi.- If the Collector finds that the area reserved for abadi is insufficient and no further suitable area is available in unoccupied land, the Collector may acquire any land for the extension of abadi under sub-section (2) of section 243 and compensation for such acquisition of land shall be computed and paid in accordance of the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013).

12. Disposal of sites in Abadi.- (1) Before disposing any site in abadi under section 244, Tahsildar shall, after ascertaining the wishes of the residents of the village, cause to be prepared a lay out of the land available in abadi for house sites.

(2) Such lay out shall be prepared in conformity with the provisions of -

(a) The Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 made under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 1973); or

(b) The Madhya Pradesh Gram Panchayat (Coloniyo Ka Vikas) Niyam, 2014 made under Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhinyam, 1993 (No 1 of 1994);

in such cases where the rules mentioned above in clauses (a) or (b) are in force.

(3) In such cases where the rules mentioned above in clauses (a) or (b) of sub-rule

- (2) are not in force, the layout shall be prepared using following specifications:-
- (a) the dimension of any plot shall not be exceeding 200 square meters;
 - (b) the main road shall be at least 6 meters in width and other roads and lanes shall be not less than 4.5 meters in width;
 - (c) roads shall, as far as may be, straight and be so laid out as to be in the direction of prevailing winds, intersecting each other at right angle;
 - (d) in the rear of each row of plots there shall be land 4.50 meters in width to provide for drainage and scavenging.
- (4) The lay out shall be shown in the map of the abadi prepared under clause (b) of sub-section (1) of Section 107 and the details of the plots in the register prescribed under the rules framed under section 107.
- (5) The Tahsildar shall upon application made to him, allot the plots on perpetual lease as per directions issued and published in the official gazette by the State Government from time to time.
- (6) The allotment of plots shall be subject to the following conditions: -
- (a) the built up area of the plot shall in no case be more than three fourth area of the plot;
 - (b) the plan shall be so drawn and the building so constructed as to leave an open space of not less than 3 meters from the roadside:
Provided that this open space may be covered by a projection not surrounded by walls.
 - (c) the plot shall be used only for the purpose of constructing thereof a dwelling house and purposes ancillary thereto and the plot or any part thereof shall not be used for any other purpose whatsoever;
 - (d) the plot-holder shall keep the building constructed on the plot in good repairs;
 - (e) the plot-holder shall maintain the plot and the building constructed thereon in good sanitary condition;
 - (f) in the event of any plot-holder committing a breach of any of these conditions he shall be liable to be ejected.

FORM - A
(See rule 4)
NistarPatrak

Name of village.....Patwari Halka No.....

Revenue Inspector circle NoTahsil.....Dist.....

Unoccupied land set apart under sub-section (1) of Section 237 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) for different purposes are shown below-

S. No	Description of Nistar Rights (Purpose)	Survey No./Plot No.	Area in hectare /sq. mtr	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(a) Timber or fuel Reserve (see note 1)	(1) (2) (3)		
Sub-total				
2.	(b) Pasture, grass bir or fodder reserve (see note 2)	(1) (2) (3)		
Sub-total				
3.	(c) Burial ground and cremation ground (see note 3)	(1) (2) (3)		
Sub-total				
4.	(d) Gaothan	(1) (2) (3)		
Sub-total				
5.	(e) Encamping ground	(1)		

		(2) (3)		
	Sub-total			
6.	(f) Threshing floors (see note 4)	(1) (2) (3)		
	Sub-total			
7.	(g) Bazar (see note 5)	(1) (2) (3)		
	Sub-total			
8.	(h) Skinning ground (see note 6)	(1) (2) (3)		
	Sub-total			
9.	(i) Manure pits (see note 7)	(1) (2) (3)		
	Sub-total			
10.	(j)-(i) Public purposes such as schools, playground, parks, drains, and the like (see note 8)	(1) (2) (3)		
	Sub-total			
11.	(j)-(ii) Roads, Paths and lanes (including directions) (a) Permanent (Metalled/tar/cc roads). (b) Permanent (Kachcha roads). (c) Seasonal roads. (d) Permanent footpaths. (e) Seasonal foot paths.	(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1)		

		(2) (3)		
	(f)Goha for cattle.	(1) (2) (3)		
	Sub-total			
12.	(k)- (i) Muram, kankar, Sand Earth, Clay, Stone for the exercise of right of Nistar (see note 9)	(1) (2) (3)		
	Sub-total			
13.	(k)-(ii) Irrigation and other water rights (a) Tanks used for irrigation (b) Tanks used for Nistar other than irrigation (see note 10 and 11)	(1) (2) (3)		
	Sub-total			
14.	(k)-(iii) Rights in fruit bearing trees planted in unoccupied land (see note 12)	(1) (2) (3)		
	Sub-total			
15.	(k)-(iv) For recreation purpose-			
	(a) parks.	(1) (2) (3)		
	(b) Green Belts or afforested area.	(1) (2) (3)		
	(c) Regional Parks (Zoological or Botanical Parks).	(1) (2) (3)		
	(d) Preservation of Natural Areas or Landscape Areas.	(1) (2) (3)		
	(e) Stadiums.	(1) (2) (3)		
	(f) Lake Front Development.	(1)		

		(2) (3)		
	(g) Exhibition Grounds.	(1) (2) (3)		
Sub-total				
16.	(k)-(v) For Public and Semi-public purposes –			
	(a) Public Institutions and Administrative Area	(1) (2) (3)		
	(b) Education and Research	(1) (2) (3)		
	(c) Health	(1) (2) (3)		
	(d) Social / Cultural Institutional activities;	(1) (2) (3)		
Sub-total				
17.	(k) (vi) For Transportation purposes –			
	(a) Bus-Stands or Terminus, Bus-Pick-up Stations.	(1) (2) (3)		
	(b) Roads.	(1) (2) (3)		
	(c) Railway Stations.	(1) (2) (3)		
	(d) Railway Lines.	(1) (2) (3)		

	(e) Bus Depot.	(1) (2) (3)		
	(f) Transport Nagar.	(1) (2) (3)		
	(g) Hellipads/ Airport.	(1) (2) (3)		
	(h) Metro Rail Stations.	(1) (2) (3)		
	Sub-Total			
18.	(k) (vii) For Public Utilities and Facilities purposes –			
	(a) Water Treatment Plants.	(1) (2) (3)		
	(b) Sewerage, Treatment Plant	(1) (2) (3)		
	(c) Trenching Grounds.	(1) (2) (3)		
	(d) Trunk line Corridor.	(1) (2) (3)		
	(e) Water/ Sewer, Line	(1) (2) (3)		
	(f) Extra Voltage Electric Lines.	(1) (2) (3)		
	(g) Gas or Oil Pipe Lines and related	(1)		

	structures.	(2) (3)		
	(h)Radio/ TV Stations.	(1) (2) (3)		
	(i)Telephone Exchange.	(1) (2) (3)		
	(j)Fire Control Stations.	(1) (2) (3)		
	(k)Solid waste Disposal Plants/ Decomposition Plants /Decomposition Plants.	(1) (2) (3)		
	Sub-Total			
19.	(k) (viii) Any Nistar (community) rights given under The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007)- (a)-----	(1) (2) (3)		
	(b)-----	(1) (2) (3)		
	(c)-----	(1) (2) (3)		
	Sub-Total			
20.	(k)-(ix) Any other purpose which may be prescribed (a)-----	(1) (2) (3)		
	(b)-----	(1) (2) (3)		

(c)-----	(1)		
	(2)		
	(3)		
Sub-Total			
Grand-total			

- Note.-1.** A note about the terms and conditions on which and the extent to which resident may obtain wood, timber, fuel creepers, roots leaves, thorns, fencing-bamboo, fruits and minor produce, be made in the remarks column.
2. A note about the terms and conditions on which grazing of cattle in the village is permitted and also about free grazing of cattle be made in the remarks column.
 3. If any survey number is used as burial and burning ground for any community, a note be made in the remarks column.
 4. Custom regulation the distribution and use of the area set apart for use as threshing floors be recorded in the remarks column.
 5. No entry be made without special sanction of Government in regard to the levy of Bazar dues.
 6. If there is any special custom regulating the use of the land set apart for this purpose, a note be made in the remarks column.
 7. The right of the residents to their own manure and rubbish or to collect the same in any special or every part of the village, if any, and the custom regulating the use of the land for manure pits shall be noted in the remarks column.
 8. Purpose for which a Survey or plot number is reserved be recorded in the remarks column.

9. The terms and conditions on which and the extent to which a resident may obtain the items be stated in the remarks column.
10. In case of irrigation and other water rights, list of fields irrigated from tank including their Survey number, area and details of crop irrigated without payment of dues shall be mentioned in remark column.
11. Only those tanks shall be mentioned which have become vested in the State Government after the abolition of the rights of intermediaries.
12. In case of rights in fruit bearing trees planted in unoccupied land, number of fruit bearing trees and name of persons who are in possession of the trees shall be mentioned in remark column.

FORM B
(see rule 4)

**Unoccupied Land in village other than land
set apart for exercise of Nistar rights**

Name of village.....Patwari Halka No.....
Revenue Inspector circle NoTahsil.....Dist.....

S.No.	Descriptions of land	Survey number/ block number /Plot number	Area (in hectare or square meter)	Manner and date of disposal (if disposed of)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Land occupied by hills and rocks	(1) (2) (3)			
Sub-Total					
2.	Land under water	(1) (2) (3)			
Sub-Total					
3.	Other lands	(1) (2) (3)			
Sub-Total					
Grand Total					

FORM C
(see rule 5)

Unoccupied Land in urban area set apart for public purposes

Name of sector and its numberName of urban area.....

Tahsil.....Dist.....

S. No.	heads of public purposes	Survey number/ block number/ Plot number	Area (in hectare or square meter)	purpose mentioned in development plan (if any)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	For recreation purpose-				
	(a) parks.	(1) (2) (3)			
	(b) Green Belts or afforested area.	(1) (2) (3)			
	(c) Regional Parks (Zoological or Botanical Parks).	(1) (2) (3)			
	(d) Preservation of Natural Areas or Landscape Areas.	(1) (2) (3)			
	(e) Play grounds	(1) (2) (3)			
	(f) Stadiums.	(1) (2) (3)			
	(g) Lake Front Development.	(1) (2) (3)			

	(h) Exhibition Grounds.	(1) (2) (3)			
Sub-Total					
(ii)	For Public and Semi-public purposes –				
	(a) Public Institutions and Administrative Area.	(1) (2) (3)			
	(b) Education and Research.	(1) (2) (3)			
	(c) Health.	(1) (2) (3)			
	(d) Social / Cultural Institutional activities.	(1) (2) (3)			
Sub-Total					
(iii)	For Transportation purposes –				
	(a) Bus-Stands or Terminus, Bus-Pick-up Stations.	(1) (2) (3)			
	(b) Roads.	(1) (2) (3)			
	(c) Railway Stations.	(1) (2) (3)			
	(d) Railway Lines.	(1) (2) (3)			

	(e) Bus Depot.	(1) (2) (3)			
	(f) Transport Nagar.	(1) (2) (3)			
	(g) Helipads/ Airport.	(1) (2) (3)			
	(h) Metro Rail Stations.	(1) (2) (3)			
	Sub-Total				
(iv)	For Public Utilities and Facilities purposes –				
	(a) Water Treatment Plants.	(1) (2) (3)			
	(b)Sewerage,Treatment Plant	(1) (2) (3)			
	(c)Trenching Grounds.	(1) (2) (3)			
	(d)Trunk line Corridor.	(1) (2) (3)			
	(e)Water/ Sewer, Line	(1) (2) (3)			
	(f)Extra Voltage Electric Lines.	(1) (2) (3)			
	(g)Gas or Oil Pipe Lines and related structures.	(1) (2) (3)			

	(h)Radio/ TV Stations.	(1) (2) (3)			
	(i)Telephone Exchange.	(1) (2) (3)			
	(j)Fire Control Stations.	(1) (2) (3)			
	(k)Solid waste Disposal Plants/ Decomposition Plants /Decomposition Plants.	(1) (2) (3)			
	Sub-Total				
(v)	For Cremation/Burial ground	(1) (2) (3)			
	Sub-Total				
(vi)	Other Public Purposes	(1) (2) (3)			
	Sub-Total				
Grand Total					

FORM D

(see rule 5)

**Unoccupied Land in urban area other than land
set apart for public purposes**

Name of sector and its number Name of urban area... ..

Tahsil.....Dist.....

S.No.	Descriptions of land	Survey number/ block number /Plot number	Area (in hectare or square meter)	Manner and date of disposal (if disposed of)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Land occupied by hills and rocks	(1) (2) (3)			
Sub-Total					
2.	Land under water	(1) (2) (3)			
Sub-Total					
3.	Other lands	(1) (2) (3)			
Sub-Total					
Grand Total					

FORM- E

(See rule 6)

Revenue Case No.....

Office of the Sub-Divisional Officer, Sub-Division
District.....

Notice

Notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 234 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is proposed to prepare a NistarPatrak (Draft whereof is attached thereto) in respect of village....., Patwari Halka Number....., Tahsil..... District.....

2. Any person, who wants to prefer any objection to make any suggestion in respect of any entry in the NistarPatrak, may send it in writing to the undersigned before the(here insert a date not less than fifteen days after the date of the notice). The objections or suggestions shall be enquired into on.....at.....between 11 a.m. and 5 p.m.

3. Given under my and the seal of this office..... day of 20.....

Seal

(.....)
 Sub-Divisional Officer.
 Sub-Division.....
 District.....

Copy forwarded to the Gram Panchayat for information.

(.....)
 Sub-Divisional Officer.
 Sub-Division.....
 District.....

FORM F

(See rule 8)

Revenue Case No.....

Office of the Sub-Divisional Officer, Sub-Division
District.....**Proclamation about ascertaining customs**

Notice is hereby given that it is proposed to ascertaining customs in.....
(name of village), tahsil.....district.....in regard to the right of
irrigation,other water-rights,right to fishing,right of way, village roads, paths,
drains and the like,rights of persons of other villages over the lands of the
village,right of the villagers over the lands of other villages or other easement
such as burial and cremation ground,goathan,encamping-ground,threshing –
floor,bazars,skinning –grounds,rights to graze and take fuel in any land or water
not belonging to or controlled or managed by the State or local authority, as
required by sub-section (1) of section 242 of the Madhya Pradesh Land Revenue
Code, 1959 (No. 20 of 1959). A *draft Wajib-ul-arz of the existing customs is
published herewith for claims and objections.

Any person, who objects to any entry or desires that any custom under the
heads specified in the draft should be recorded in the Wajib-ul-arz, should
submit his objection or claim, if any, by the.....20..... to the under signed
at.....between 10 a.m to 5 p.m.

(.....)

Dated.....20

SEAL

Sub-divisional Officer

Sub-Division.....

District.....

*Note- The draft Wajib-ul-arz should accompany the proclamation.

Office of the Sub-Divisional Officer, Sub-Division
District.....

Draft Wajib-ul-arz

Proposed draft for preparing Wajib-ul-arz of the existing customs of villagetahsil.....district.....under of Section 242 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) are shown below-

S.No	Description of Purpose	Description of existing customs	Survey No./Plot No.	Area in hectare /sq. metre	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Right to irrigation				
2.	Other water-rights				
3.	Right to fishing				
4.	Right of way, village roads, paths, drains and the like				
5.	Rights of person of other villages over the lands of the village				
6.	Right of persons over the lands of other villages				
7.	Other easement-				
	(i) Burial and cremation ground,				
	(ii) Goathan				
	(iii) Encamping-ground				
	(iv) Threshing -floor				
	(v) Bazars				
	(vi) Skinning -grounds				
	(vii) Rights to graze and take fuel				
	(viii) Manure and rubbish				
8.	Other miscellaneous rights				

Dated.....20

Sub-divisional Officer

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.